

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 09 September 2026

राजस्थान : गैर सरकारी विद्यालयों में टी.सी. जारी करना अनिवार्य: निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट के सख्त निर्देश

राजेश चौधरी

Published on 11 Apr 2026

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आवक क्र. / अ. / बी. / एन. / 1875 / 2022-23
दिनांक: 09/09/2026
प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
संख्या: 1000

विषय:- गैर सरकारी विद्यालयों में अकादमिक विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने के संबंध में।

प्रमुख विद्यार्थी संख्या में है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा अकादमिक विद्यार्थियों को अकादमिक टी.सी. जारी नहीं करने के कारण स्कूल में आ रही है। इस बात में निश्चित किया जाता है कि गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को अकादमिक/अभ्यास प्राप्त करने पर टी.सी. जारी की जावे नहीं विद्यार्थी का अकादमिक शिक्षा का भी टी.सी. जारी कर सके। विद्यालय प्रमुख या माता-पिता/अभ्यास के साथ विद्यार्थी को टी.सी. में भी जारी करे जावे विद्यार्थी का शिक्षा जारी न हो। टी.सी. की आवश्यकता है जो भी जारी करे जावे जो शिक्षा के गैर सरकारी विद्यालय में विद्यार्थी राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993, संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(संलग्नक जारी)

अ. प्रमुख
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by राजेश चौधरी, DN: cn=राजेश चौधरी, o=राजस्थान सरकार, email=rajesh.choudhary@rajasthan.gov.in, c=IN, Reason: Approval

राजेश चौधरी | जयपुर | समाचार वाणी न्यूज़

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्देश जारी किया गया है। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट (I.A.S.) द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी गैर सरकारी विद्यालयों को विद्यार्थियों को समय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) जारी करना अनिवार्य होगा।

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और वह बिना किसी अवरोध के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। अक्सर यह देखा गया है कि निजी विद्यालयों द्वारा विभिन्न कारणों से टी.सी. जारी करने में देरी की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान हेतु यह निर्देश जारी किया गया है।

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चे के लिए टी.सी. हेतु आवेदन करते हैं, तो संबंधित विद्यालय को बिना किसी अनावश्यक देरी के टी.सी. जारी करनी होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विद्यालय और अभिभावकों के बीच किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, तब भी विद्यार्थी की टी.सी. नहीं रोकी जा सकती। इस प्रकार, विद्यार्थियों के शैक्षिक अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को विधिक आधार प्रदान करते हुए कहा है कि सभी कार्यवाही राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत की जाएगी। इन नियमों के अनुसार, यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें मान्यता रद्द करने से लेकर अन्य प्रशासनिक दंड भी शामिल हो सकते हैं।

यह निर्णय न केवल विद्यार्थियों के लिए राहत भरा है, बल्कि अभिभावकों के लिए भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। कई बार अभिभावकों को आर्थिक या प्रशासनिक कारणों से अपने बच्चों का विद्यालय बदलना पड़ता है, लेकिन टी.सी. जारी न होने के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब इस नए निर्देश के बाद ऐसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगा। इससे निजी विद्यालयों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा और विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही, यह निर्णय शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के मूल उद्देश्य को भी सुदृढ़ करता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को बिना बाधा के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई विद्यालयों ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाते हुए अपनी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं, अभिभावकों में भी इस निर्णय को लेकर संतोष और विश्वास का माहौल है।

समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि इस प्रकार के निर्णय नियमित रूप से लागू किए जाते रहें, तो शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव है।

अंततः, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट द्वारा जारी यह निर्देश विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह कदम न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।